

प्रति,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
प्रथम तल, ए-विंग, सतपुड़ा भवन,
भोपाल (म.प्र.)

विषय- वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत आवेदक संस्थाओं द्वारा नोडल अधिकारी स्तर पर प्राप्त होने वाले ऑनलाईन प्रकरणों के संबंध में।

- (1) FP/MP/MIN/152429/2022 - Sardaman Stone Quarry lease (2.80 Ha.)
- (2) FP/MP/MIN/152431/2022 - Harrai Gujran Stone Quarry lease (4.46 Ha.)
- (3) FP/MP/MIN/152432/2022 - Harrai Gujran Stone Quarry lease (4.59 Ha.)

-0-

महोदय,

उपरोक्त विषय में लेख है कि आपके द्वारा पत्र क्रमांक 1265, 1263 एवं 1264 दिनांक 07/04/2022 द्वारा तीनों प्रकरणों में 02 बिन्दुओं पर आपत्ति ली गई है।

1. बिन्दु क्रमांक 1 के संबंध में लेख है कि आवेदक संस्थान को आवंटित लीज में से पूरे क्षेत्र में खनन कार्य ही किया जायेगा। अन्य कार्यों के निर्माण की आवश्यकता नहीं है।
2. बिन्दु क्रमांक 2 के संबंध में लेख है कि पर्यावरणीय स्वीकृति की कार्यवाही प्रचलित है। प्रस्ताव में प्रथम चरण स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति उपलब्ध करा दी जावेगी।



(ललित पंघाल)

प्रोपराईटर

स्वामी नित्यानंद महाराज स्टोन हाउस
975/76, सेक्टर-13,
हुददा भिवानी, हरियाणा

